न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी गिरिराज कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 41/2012 – आ0नि0

1.काना पिता बालू मीणा निवासी गोलबडी बनाम तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
2.रामेश्वर पिता बालू मीणा निवासी गोलबडी तहसील कोटडी जिला भीलवाडा

–प्रार्थीगण

1. बरदा पिता गोपाल कीर निवासी गोलबडी तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कोटडी जिला भीलवाडा

––विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ आंवटन नियम 1970

उपस्थित :–

1. रमेश चेचाणी अधिवक्ता – प्रार्थीगण की ओर से
2. चन्द्रप्रकाश सिंघवी अधिवक्ता – विपक्षी सं0 1 की ओर से
3. विपुल बापना राजकीय अधिवक्ता – विपक्षी सं. 2 की ओर से

निर्णय

दिनांक 25/05/2016

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ आंवटन नियम 1970 प्रस्तुत हुआ, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विपक्षी सं. 01 को आवंटन कमेटी द्वारा ग्राम कोठाज तहसील कोटडी जिला भीलवाडा की आराजी सं. 11 /14 रकबा 05 बीघा का आवंटन दिनांक 4.8.1972 को किया गया था । उक्त आवंटन आदेश सर्वथा विधि के विपरीत होकर अपास्त योग्य है । उक्त आवंटन आदेश विपक्षी सं. 01 ने आवंटन कमेटी से मिलीभगत कर अपने नाम कराया है, उक्त भूमि मौके पर खाली भूमि नही होते हुये भी पटवारी हल्का द्वारा आवंटन प्रार्थना पत्र पर गलत रिपोर्ट अंकित की है तथा वक्त आंवटन के काफी समय पहले से ही उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है । प्रार्थीगण के विरूद्व उक्त भूमि के संबंध में धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के निरन्तर 50 सालों से कार्यवाही चलती आ रही है तथा प्रार्थीगण निरन्तर नियमानुसार शास्ती / पैनल्टी की राशि जमा करवाते चले आ रहे है । इस प्रकार कोई कब्जा व दखल विपक्षी सं. 01 का आवंटनशुदा भूमि पर नही है न कभी रहा है । आवंटन के पश्चात विपक्षी सं. 01 द्वारा आवंटन के नियमों एवं उपनियमों की कोई पालना नही की है । विपक्षी सं. 01 ने आवंटन वाले वर्ष में आवंटनशुदा कृषि भूमि के आधे भाग पर कोई काश्त नही की है । विपक्षी सं. 01 का रेकार्ड में नाम होने के कारण उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी का आदेश कराकर पत्थरगढी करायी व मौका पर्चा बनाया जिसमें भी कब्जा प्रार्थीगण का पाया गया । जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि पर वर्षों से प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है इसलिये विपक्षी सं. 01 द्वारा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर कराया गया आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है । अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी सं. 01 को ग्राम कोठाज तहसील कोटडी की आराजी सं. 11/14 रकबा 05 बीघा का आंवटन कमेटी द्वारा 4.8.1972 को किये गये आवंटन को निरस्त फरमाते हुए उक्त कृषि भूमि को प्रार्थीगण के नाम पर नियमन किये जाने का आदेश फरमाया जावे ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाडा (राज.)

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 11.06.2012 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वज़ह जाहिर हेतु नोटिस जारी किये गये तथा भू–आवंटन संबंधी रेकार्ड तलब किया गया। विपक्षी की ओर से दिनांक 21.3.13 को जवाब प्रस्तुत हुआ। विपक्षी की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 10 जा.दी. का दिनांक 21.03.2013 को पेश हुआ जिसे दिनांक 20.06.2014 को मेन्टेनेबल नही होने से खारिज किया गया ।

प्रकरण में प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई । प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के बिन्दु सं. 1 से लगायत 12 को दोहराते हुये विपक्षी नं. 1 को आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 4.8.1972 को ग्राम कोठाज की आराजी नं. 11 /14 रकबा 05 बीघा भूमि के किये गये आवंटन को निरस्त कराये जाने की प्रार्थना की है ।

विपक्षी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम कोठाज तह. कोटडी के आराजी नं. 11/14 रकबा 5 बीघा भूमि 4.8.1972 को विधिवत रूप से विपक्षी के नाम आवंटित की गयी एवं कब्जा सिपूर्द किया गया । कब्जा सिपुर्दगी से ही विपक्षी आवंटित भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । विपक्षी के नाम पर आवंटित भूमि 11/14 रकबा 5 बीघा भूमि राजस्व रेकार्ड में खातेदारी से दर्ज हो चुकी है , इस प्रकार विपक्षी ने आवंटन शर्तों की पालना की है । विपक्षी को आवंटन दिनांक 4.8.1972 को हुआ, प्रार्थी ने उक्त आवंटन के विरूद्व दिनांक 4.6.2012 को यानि आवंटन दिनांक से करीब 40 वर्षों पश्चात प्रार्थना पत्र 14(4) का विपक्षी के विरूद्व प्रस्तुत किया जबकि आवंटित भूमि के खातेदारी दर्ज हो जाने से विपक्षी के विरूद्व आवण्टन निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाना विधि सम्मत नही है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) रा.कृ.प्रयो. आवंटन नियम 1970 को खारिज किया जावे ।

उपभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया । ग्राम कोठाज तहसील कोटडी के आराजी नं0 11 में 5 बीघा भूमि बरदा पिता गोपाल कीर निवासी गोलबडी तह. कोटडी के नाम पर दिनांक 4.8.1972 को तहसीलदार कोटडी द्वारा आवंटन किया गया । आवंटित भूमि बरदा पिता गोपाल कीर साकिन गोलबडी के नाम गैर खातेदारी से दर्ज होकर जरिये नामा. सं. 353 से खातेदारी दर्ज होकर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में आवंटी के नाम खातेदारी से दर्ज है । विपक्षी के नाम आवंटित भूमि के खातेदारी दर्ज हो जाने से विपक्षी के विरूद्व आवण्टन निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाना विधि सम्मत नही है ।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही ठहरता है। अत एव–

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र नियम 14 (4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 खारिज किया जाता है एवं विपक्षी के नाम ग्राम कोठाज तह. कोटडी के आराजी नं0 11 /14 रकबा 5 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 4.8.1972 को यथावत रखा जाता है । निर्णय की प्रति तहसीलदार कोटडी को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25/05/2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गिरिराज कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)